

(54)

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लेंड एक्चोजिशन आर्गुमेंटों को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लेंड एक्चोजिशन आर्गुमेंट के पद पर नियुक्त रहें :-

क्रम-सं०	अधिकारों का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस
२	प्रिंजीक सिंह	फैजाबाद
३	कमाल हुसैन	आगरा
४	दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर

२४ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ५६२१/१-म-१०६-५४-लेंड एक्चोजिशन ऐक्ट, १९४४ (ऐक्ट संख्या १, १९४४) की धारा ३ के खंड (सो) द्वारा प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

विविध

२३ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ३२०५/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १९, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उक्त बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब यह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिवन्धनात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चंटर ४ के निदेश इससे संलग्न भूतलखी में निदिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१	पंड टंक रोड, मोल ५६२/० से लेकर मोल ६६३/० तक	कानपुर	७१ ० ०	जमोरा की हदबन्दी पर या सीमेंट के स्तम्भों या लाइनों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-फाल्गुनी सड़क, मोल ५२/० से लेकर मोल ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मोल २/० से लेकर मोल ३९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	प्रोडमगल रोड, मोल ११६/० से मोल १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	सखनऊ-कानपुर सड़क, मोल /० से लेकर मोल ४६/३-६४० फीट तक	सखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	सखनऊ-बरेली सड़क मोल /० से लेकर मोल १५२/० तक	सखनऊ, सीतापुर, झांसी, बरेली	१५२ ० ०	"
७	सखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मोल /० से लेकर १०८/० तक	सखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	"
८	सखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मोल /० से लेकर मोल ८५/१-२२८ फीट तक	सखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	सखनऊ-फैजाबाद सड़क, मोल /० से लेकर मोल ७६/३-३६६ फीट तक	सखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	"

प्रतिहस्ताक्षर

प्रभागीय निदेशक

डा० वा० मन प्रभा

२ बाराबंकी

Executive Engineer

National Highway Divn.

P.W.D. Lucknow

DIRECTOR
General Administration
Sherwood Educational Campus

क्रम सं०	भूमि का नाम ओ भारतीय सैन एंड पब्लिक एंड के प्रभुत्व रक्षित सन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	संख्या का वर्णन
			मी० फ०	फी०
१०	दलाहाबाद-फजाबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६।५ तक	दलाहाबाद, प्रतापगढ़, मुस्तागपुर, फजाबाद	६	५१३ जमीन की हबबन्दी पर या सीमेंट के रस्ते या लाइनों द्वारा या अन्य की गई है।
११	धाराबंकी-बहरामघाट सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५.० तक	धाराबंकी	२५	०
१२	सीतापुर-अहमोड़ा सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५.० तक	सीतापुर	२५	०
१३	मेरठ-बरेली सड़क (सिवियल रामपुर स्टैंड के), मील ३४.०।० से लेकर मील ८६।५-३०० फीट तक और मील १०६।५-६८ फी० से लेकर मील १२६.०।० तक	मुरादाबाद और बरेली	७४	६ २३२
१४	बरेली-मथुरा सड़क मील, ०।० से लेकर मील ५.०।० तक	बरेली और मथुरा	५	०
१५	बरेली-अहमोड़ा सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६३.०।० तक	बरेली और नैनीताल	६३	०
१६	बरेली-पोलीभीत सड़क, मील ०।० से लेकर मील ३३.०।० तक	बरेली और पोलीभीत	३३	०
१७	पोलीभीत-दतनपुर सड़क, मील ३३.०।० से लेकर मील ६२.०।० तक	पोलीभीत और नैनीताल	२९	०
१८-(अ)	जीमा-विजयनगर सड़क, मील १६.०।० से लेकर मील ७८.६ तक	मुरादाबाद और विजयनगर	५९	६
१८-(ब)	विजयनगर-रावली सड़क, मील ०।० से लेकर मील ७.०।० तक	मुरादाबाद और विजयनगर	७	०

सं० ३२०८ (२)/१४-इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा ३० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रक्षित वनों (protected forests) में जो दिनांक २३ अगस्त, १९५५ को विज्ञप्ति संख्या ३२०८/१४ द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किये गये थे, लगे हुये और बढ़ते हुये वेदों के निम्नलिखित वर्गों को इस विज्ञप्ति के दिनांक से सुरक्षित (reserved) प्रख्यापित करते हैं:-

वृक्षों के नाम	संशोधन
१-चबूत	२२-बरगद
२-लौर	२३-मूलर
३-झरू	२४-पाकड़
४-सकंद सिरिस	२५-रोपल
५-हल्लू	२६-संघा
६-काला सिरिस	२७-गम्हार या लमार
७-नीम	२८-कजू या पापड़ो
८-रुदम	२९-सागौन
९-रिपोज	३०-बोरंग
१०-बाकली	३१-भाम
११-महुआ	३२-वर्कन
१२-कज्जारा	३३-नीम चमेली
१३-सेमल	३४-तुल
१४-डाक	३५-मोससरी
१५-भमवतास	३६-सोणना
१६-तुल	३७-अशोक
१७-सलबोड़ा	३८-विलामती खमूल
१८-विलामती शीशम सितसाल	३९-छोकर
१९-शोशम	४०-गोल्ड मोहर, गुल मोहर
२०-मुकसिस्ट	४१-कंजी
२१-जामुन	४२-खजूर

४३-पतजू, पतजी, पुत्रजीय	५०-इमली
४४-सात	५१-पहेड़ा
४५-तार चरबी	५२-असना या सन
४६-वेद, विल	५३-गुदेल
४७-गोवगुदाला	५४-सागौन या टोक
४८-सिहोर	५५-रोडा
४९-शर्जून	

सं० ३६६४/१४-४५८-५४-१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-संवर्धन अधिनियम (१९५१) का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १) की धारा ११७ के द्वितीय-प्रतिबंध से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में प्रवर्धित क्षेत्र को जो ११ अक्टूबर, १९५२ को विज्ञप्ति सं० ६१७/१४ के अधीन गांव-समाज में निहित हुआ था, वापस लेते हैं।

जिला	तहसील	परमना	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल
उत्तरांचल	हसनगंज	सलोडर	मन्डूगपुर	६६ एकड़

प्रतिहस्ताक्षरित

Executive Engineer
National Highway Divn.
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय निदेशक
वा० वा० वन प्रभाग
धाराबंकी

Director
General Administration
Sherwood Estate
Campus